न्यायमूर्ति वी.के.बाली और न्यायमूर्ति एम.एल. सिंघल के समक्ष

कुलवंत कौर —*याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य एवं अन्य —*प्रतिवादी*

सी.डब्ल्यू.पी. 12661 *का* 1997

16 अप्रैल, 1998

भारत का संविधान, 1950 /*अनुशेद* 226-*मुआवज़ा—याचिकाकर्ता के पति की दंगों के दौरान हत्या हो गई—सरकार. अनुग्रह भुगतान के रूप में निश्चित राशि का भुगतान करना—चाहे सरकार. वास्तविक मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।*

आयोजित, रुपये की मामूली राशि का भुगतान। 20,000 के रूप में*कृपा से* भुगतान पर्याप्त नहीं है. निर्धारित राशि से अधिक मुआवजा देना*कृपा से* भुगतान दंगा पीड़ितों के परिवार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से यह कि याचिकाकर्ता, तीन नाबालिग बच्चों वाली एक असहाय विधवा, को वास्तव में अपन□ और अपनी तीन महिला बच्चों का भरण-पोषण करना पड़ता है और उसका मृत पति सेना में हवलदार था, जिसे उचित वेतन और मुफ्त जैसी सुविधाएं मिलती थीं। आवास और मुफ्त राशन, रुपये की राशि। 3,50,000 किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगा.

(7 के लिए)

राजीव भल्ला, वकील, *याचिकाकर्ताओं के लिए.*

मदन देव, अधिवक्ता, *प्रतिवादी नंबर 1 और 3 के लिए।*

पुनीत जिंदल, अधिवक्ता, *प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।*

निर्णय

न्यायमूर्ति वी.के. बाली

(1) श्रीमती हवलदार नारांजन सिंह की पत्नी कुलवंत कौर, जो भारतीय सेना में कार्यरत थे और जब वह छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उन्हें डिब्बे से बाहर खींचकर पीट-पीट कर मार डाला गया था, वह उन्हें दिए गए एकमात्र मुआवजे यानी रु. की मांग करते हुए पर्याप्त मुआवजे की मांग कर रही हैं। 20,000 पूरी तरह से महत्वहीन और भ्रामक है।

(2) मामले के तथ्य बताते हैं कि 31 अक्टूबर, 1984 को श्रीमती। उनकी हत्या के बाद देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान चली गई। हत्या के बाद का परिणाम था।

बड़े पैमाने पर देश के विभिन्न हिस्सों में दंगों के परिणामस्वरूप एक विशेष समुदाय के लोगों की जान-माल की बड़ी हानि हुई। याचिकाकर्ता के दुर्भाग्य से, उसका पति जो भारतीय सेना में सेवारत था, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहा था। जिला फ़रीदाबाद के रूंधी रेलवे स्टेशन पर उन्हें डिब्बे से बाहर खींच लिया गया और पीट-पीट कर मार डाला गया। एक एफ.आई.आर. पुलिस स्टेशन जी.आर.पी. से संबंधित क्रमांक 76 दिनांक 3 नवंबर 1984 फ़रीदाबाद दर्ज किया गया। एफ.आई.आर की कॉपी याचिका के साथ अनुबंध पी-1 के रूप में संलग्न किया गया है। अपने पति की मृत्यु पर, याचिकाकर्ता को रु की मामूली राशि प्राप्त हुई। राज्य से 20,000 रु *कृपा से* भुगतान। चूंकि भुगतान अपर्याप्त और पर्याप्त नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता ने मुआवजे में वृद्धि के लिए उपायुक्त को पत्र लिखना शुरू कर दिया। उपायुक्त ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उसे पहले ही रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 20,000 और हरियाणा सरकार ने आगे सहायता देने के लिए कोई नई नीति नहीं बनाई है। वर्ष 1990 में याचिकाकर्ता द्वारा उपायुक्त को संबोधित ऐसे एक पत्र का उत्तर याचिका के साथ अनुबंध पी-3 के रूप में संलग्न किया गया है। इस न्यायालय में आने से पहले, याचिकाकर्ता ने 4 नवंबर, 1996 को कानूनी नोटिस अनुलग्नक पी-7 दिया और जब नोटिस का भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, तो यह याचिका दायर की गई।

(3) जब यह मामला 27 फरवरी, 1998 को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री भल्ला ने याचिकाकर्ता को मृत्यु के समय मृतक की उम्र और उसकी आय क्या थी, यह बताने के लिए एक हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा। . मामले को स्थगित कर दिया गया और इस बीच याचिकाकर्ता ने अपना हलफनामा दायर किया जिसमें उसने शपथ ली कि उसकी मृत्यु के समय, याचिकाकर्ता के पति की उम्र 39 वर्ष थी, उनकी जन्मतिथि 31 मार्च, 1945 थी। उस समय उनका वेतन र□. 2300 प्रति माह. अपने वेतन के अलावा, मृतक और उसका परिवार मुफ्त पारिवारिक आवास, मुफ्त राशन या राशन राशि और कई अन्य सुविधाओं के हकदार थे। मृतक के परिवार में उसकी विधवा यानी याचिकाकर्ता और तीन नाबालिग बेटियां थीं। इस याचिका का उत्तर प्रतिवादी-राज्य द्वारा दायर किया गया है। जवाब में बस इतना कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने उम्र और परिलब्धियों के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया है और इसलिए, जानकारी के अभाव में इसे अस्वीकार किया जा रहा है।

(4) उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित बयान में मुआवजे की वृद्धि के लिए याचिकाकर्ता के दावे का विरोध करते हुए प्रारंभिक आपत्ति के माध्यम से यह अनुरोध किया गया है कि,—*वीडियो* 22 मई, 1986 और 23 मई, 1986 के ज्ञापन

हरियाणा सरकार के वित्तायुक्त एवं सचिव, गृह विभाग, चंडीगढ़ ने भुगतान के संबंध में निर्देश जारी किए हैं *कृपा से* नवंबर 1984 की गड़बड़ी से प्रभावित मृत व्यक्तियों को राहत। यह प्रावधान किया गया था कि हरियाणा सरकार ने भुगतान करने के लिए हरियाणा के राज्यपाल की मंजूरी से अवगत करा दिया है *कृपा से* पुलिस गोलीबारी में मारे गए लोगों सहित व्यक्तियों को रुपये की दर से अनुदान। प्रभावित व्यक्तियों को 20,000 रु. की राशि के बाद से *कृपा से* इस मामले में मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है और उत्तरदाताओं की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है, ऐसे में वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जहां तक याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का सवाल है, गुण-दोष के आधार पर इस पर विवाद नहीं किया गया है। वास्तव में, प्रतिवादी-राज्य की ओर से दायर जवाब को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि बचाव का एकमात्र अनुमान यह है कि सरकार ने रुपये देने का फैसला किया था। मुआवजे के रूप में 20,000 और याचिकाकर्ता को इसका भुगतान किया गया, वृद्धि का कोई मामला ही नहीं बना।

(5) जब हमने पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को सुना और मामले के रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की। हम वास्तव में मामले के सभी पहलुओं पर गौर करेंगे, लेकिन चूंकि मामला अब समग्र नहीं रह गया है और 1996 के सीडब्ल्यूपी संख्या 1429 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के अंतर्गत आता है जिसका शीर्षक है *भजन कौर* बनाम *दिल्ली प्रशासन* 5 जुलाई, 1996 को निर्णय लिया गया और हमें सूचित किया गया है कि इसकी पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही की जा चुकी है, इसलिए मामले का कोई भी सूक्ष्म विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। के तथ्य *श्रीमती भजन कौर का मामला* (सुप्रा) से पता चलता है कि उक्त मामले में याचिकाकर्ता के पति नारायण सिंह की 1 नवंबर, 1984 को श्रीमती की हत्या के बाद हुए दंगों में जान चली गई थी। इंदिरा गांधी। पर। वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब वह मुंबई-फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। एफ.आई.आर. के अनुसार क्रमांक 355 दिनांक 1 नवंबर 1984 को पुलिस स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दर्ज कराया गया कि दोपहर 12.30 बजे के आसपास ट्रेन तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी जहां 300-350 ग्रामीणों ने उसे घेर लिया। उन्होंने 25/26 सिख यात्रियों को ट्रेन से बाहर खींचकर मार डाला। मारे गए लोगों में याचिकाकर्ता के पति जवाहर सिंह के बेटे नारायण सिंह भी शामिल थे। घटना के करीब दो साल बाद 20 अक्टूबर 1986 को दिल्ली प्रशासन ने रुपये का भुगतान किया. याचिकाकर्ता को 20,000 रु *कृपा से* भुगतान। 1996 में याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर उचित मुआवजे की प्रार्थना की। उनकी विशेष मांग रुपये के भुगतान की थी। मुआवजे के रूप में 2 लाख रु. इस मामले के तथ्य और कानून भी *श्रीमती भजन कौर का मामला* (सुप्रा) परी मटेरिया हैं। याचिकाकर्ता श्रीमती के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भजन कौर में निम्नलिखित निर्देश जारी किए:-

> "उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता को कम से कम रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए था। 2 लाख का मुआवज़ा. चूंकि याचिकाकर्ता को पहले ही रुपये का भुगतान किया जा चुका है। प्रतिवादी को 20,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता को अक्टूबर 1984 से भुगतान की तारीख तक ब्याज के साथ 1,00,000 रुपये दिए गए, जो कि रुपये में निर्धारित है। 1.50 लाख. प्रतिवादी रुपये का भुगतान करेगा. याचिकाकर्ता को एक महीने के भीतर 3.30 लाख रु.

(6) निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देश भी दिए गए

"बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने का यह निर्देश समता सुनिश्चित करने और 1984 के दिल्ली दंगों के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए समान मामलों पर लागू होगा। तदनुसार, यह निर्देशित किया जाता है कि विधवाओं और परिवारों को 1984 के दिल्ली दंगों में अपनी जान गंवान□ वाले पीड़ितों को रुपये का भुगतान किया जाए। 3.50 लाख (रु. 2 लाख और ब्याज रु. 1.50 लाख)। उन्हें भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद प्रतिवादी द्वारा उन्हें भुगतान किया जाना चाहिए *कृपा से* मुआवज़ा देना. यह एनसीटी सरकार के लिए भी खुला रहेगा। दिल्ली सरकार और भारत सरकार दंगा पीड़ितों के परिवार की परिस्थितियों के आधार पर उपरोक्त राशि से अधिक मुआवजा देने पर विचार करेगी। मैं राज्य को उचित पहचान के बाद दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों को उपरोक्त निर्धारित मुआवजे की राशि वितरित करने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्देश दूंगा। मैं तदनुसार ऑर्डर करता हूं। यह अभ्यास चार महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। राज्य और भारत संघ को यह सलाह दी जानी चाहिए कि जब भी और जहां भी दंगे हों, उनका पता लगाया जाए और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाए। मुआवजे के भुगतान में कानून को उनकी संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान करना चाहिए ताकि जब्त की गई संपत्ति से मुआवजे का भुगतान सुरक्षित हो सके। यदि यह पाया जाता है कि राज्य के किसी अधिकारी या अधिकारियों ने ऐसा किया है यदि वे समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं या भीड़ की हिंसा के प्रति उदासीन हैं, तो उन्हें पीड़ितों को मुआवजा देना होगा और अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना होगा।"

(7) इस मामले के तथ्यों और विशेष रूप से याचिकाकर्ता को ध्यान में रखते हुए, तीन नाबालिग बच्चों वाली एक असहाय विधवा को वास्तव में अपना और अपने तीन महिला बच्चों का भरण-पोषण करना पड़ता है और उसका मृत पति सेना में हवलदार था, जिसे उचित वेतन और मुफ्त आवास जैसी सुविधाएं थीं। और मुफ्त राशन की राशि रु। 3,50,000 किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगा. वास्तव में यह कुछ हद तक निचले स्तर पर हो सकता है। इस प्रकार, हम हरियाणा सरकार को याचिकाकर्ता को रुपये की राशि देने का निर्देश देते हैं। 3.50 लाख घटा रु. 20,000 का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। हरियाणा सरकार के लिए यह भी खुला होगा कि वह उस राशि से अधिक मुआवजा देने पर विचार करे जिसे हमने आदेश दिय□ है कि सरकार को भुगतान करना चाहिए और जहां तक रुपये की राशि है। 3.30 लाख रुपये का सवाल है, इसे सरकार द्वारा इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर याचिकाकर्ता को सौंप दिया जाए।

(8) उपरोक्त शर्तों के अनुसार याचिका स्वीकार की जाती है।

एस.सी.के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं

किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रह

जैस्मीन प्रीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

सोनीपत, हरियाणा